संख्या:26/2018/866जेएल/22-3-18-100(29)/2018

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 ***लखनऊ: दिनांक: 04 मई, 2018***

विषय: जिला कारागार, लखनऊ में निरूद्ध 03 विचाराधीन आतंकवादी बंदियों को अन्यत्र कारागारों में स्थानान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-15572/सामा-1(3)/बं0स्था0ल0परि0/2018, दिनांक 20-04-2018 में की गयी संस्तुति के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त उत्तर प्रदेश जेल मैनुअल के प्रस्तर-128 सपठित-409ए में निहित प्राविधानों के अनुसार जिला कारागार, लखनऊ में निरूद्ध निम्नलिखित 03 (तीन) विचाराधीन बंदियों को प्रशासनिक आधार पर उनके नाम के सम्मुख अंकित कालम-4 की कारागारों में स्थानान्तरित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

क्र.स.	विचाराधीन बंदी का नाम/पिता का नाम	निरूद्धि की वर्तमान कारागार	कारागार का नाम जहॉ स्थानान्तरित किया जाना है।
1	2	3	4
1	तारिक काजमी पुत्र रियाज	जिला कारागार,लखनऊ	जिला कारागार, बाराबंकी
2	आदिल अन्जुम पुत्र नजीर अहमद	जिला कारागार,लखनऊ	जिला कारागार, गोरखपुर
3	सज्जादुर्रहमान पुत्र कादिर वानी	जिला कारागार,लखनऊ	जिला कारागार, फैजाबाद

2- कृपया तदनुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए कृत कार्यवाही की अनुपालन आख्याशासन को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर
संयुक्त सचिव।

संख्या:26/2018/866जेएल(1)/22-3-18-तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार विभाग, उ0प्र0।
2. अपर पुलिस महानिदेशक, कानून व्यवस्था, उ0प्र0, पुलिस मुख्यालय, लखनऊ।
3. जिला मजिस्ट्रेट, लखनऊ/बाराबंकी/फैजाबाद/गोरखपुर।
4. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, लखनऊ/गोरखपुर/फैजाबाद एवं पुलिस अधीक्षक, बाराबंकी।
5. वरिष्ठ अधीक्षक, जिला कारागार, लखनऊ/फैजाबाद/गोरखपुर एवं अधीक्षक, जिला कारागार, बाराबंकी।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

हरि नारायण गिरि
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in